

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 05.11.2022

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलो में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल-17 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

01 वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार-

गोण्डा पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में चलाए जा रहे वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अभियान में जनपद गोंडा के थाना कोतवाली नगर पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही-

01. थाना मोतीगंज पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. धनपता पत्नी कर्ताराम निवासी ग्राम दुल्हापुर मौजा गौरवा कानूनगो थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०- 277/22 धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

02. थाना वजीरगंज पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. अमित कुमार पुत्र राजिन निवासी ग्राम विशेनपुरवा खानपुर गोरथनिया थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०- 458/22 धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

03. थाना उमरीबेगमगंज पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. अरूण यादव पुत्र श्याम लाल यादव निवासी नौशहरा उमरी थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०- 244/22, 02. प्रदीप कुमार सिंह पुत्र बच्चा लाल सिंह निवासी पूर्वीहन पुरवा सोनौली मोहम्मदपुर थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०- 245/22 धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।